सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण / चाँदी के आभूषणों के नीलामी हेतु
ई-नीलामी दि: 28/04/2025
क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल मध्य प्रदेश

बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण / चाँदी के आभूषणों के विक्रय हेतु 15 (पंद्रह दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता को उसके द्वारा लिए गए गोल्ड लोन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वर्ण / चाँदी के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी " **जो है और जिस स्थिति में है", "जो कुछ भी है और दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबन्धित शाखा	ऋण खाता धारक का नाम एवं पता	उधारकर्ता — ऋण खाता संख्या	आभूषण (धातु)	कुल वजन एवं शुद्ध वजन	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) बिड वृद्धि राशि	
01	अजवार	श्री कन्हैया लाल धारवैया पुत्र श्री गोलकुल दास धारवैया	3334068549	सोना	7.88 ग्राम	रु	48,500.00
					एवं	रु	4,850.00
					7.50 ग्राम	रु	500.00
02	अजवार	श्री कन्हैया लाल धारवैया पुत्र श्री गोलकुल दास धारवैया	3369217822	चाँदी	812.00 ग्राम	रु	32,500.00
					एवं	रु	3,250.00
					796.00 ग्राम	रु	500.00

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.centralbankofindia.co.in** देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता e- Procurement Technologies Limited(Auction Tiger) के वेबपोर्टल **https://egold.auctiontiger.net** पर उपलब्ध लिंक देखें।नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर **91-6351896640 / 6359575981 / 9023724780** ,प्राधिकृत अधिकारी **(मोब:-91-9693096247)** या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल **(E-mail:-recvshahro@centralbank.co.in)** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है । शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा– **अजवार (मोब न:-75099 77100)**, से बैंकिंग कार्य दिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर **दिनांक:- 21/04/2025** को बैंकिंग कार्य के समय कर सकते हैं | उपरोक्त संबन्धित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है|

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
For Central Bank of India
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

दिनांक: 09/04/2025

स्थान: शहडोल (म.प्र)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 7005 Regional Office, Shahdol क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

हटा से छतरपुर-उप्र जा रहे अनाज से भरे ट्रक

हटा मंडी क्षेत्र में अवैध गल्ला व्यापार जोरों पर

हटा, देशबन्धु। कृषि उपज मंडी में डाक व्यवस्था और हटा ब्लॉक के किसानों को हटा ने ही उपज का सही दाम और विक्रय कराने के लिए भले ही दमोह कलेजटर के नेतृत्व में हटा एसडीएम के साथ राजस्व का अमला दिनरात मेहनत कर मंडी को सुचारू रूप से चलाने प्रयास में जुटा हो लेकिन हटा कृषि उपज मंडी प्रबंधन और कर्मचारियों के उदासीन रवैये से हटा ब्लाक में अवैध रूप से गल्ला व्यापार दिन रात फ्लफूल रहा है।

हटा मुख्यालय सहित मड़ियादो, गैसाबाद, रनेह, हिनोता, रजपुरा आदि क्षेत्रों से प्रतिदिन दर्जनों ट्रक और पिकअप वाहन गल्ला भरकर छतरपुर, बड़ामलहरा, बमीठा और उत्तरप्रदेश के जिलों में पहुंच रहे हैं।

हटा से इन वाहनों की निकासी से हटा मंडी को लाखों रूपये मंडी टेक्स की चपत लग लग रही है। सूत्रों की माने तो हटा से इन दिनों कई गाड़ियां व्यापारियों का माल उत्तरप्रदेश के महोबा की ओर जा रही है लेकिन मंडी कर्मचारी और अमला इनकी जांच करना तक उचित नही समझते।

नायब तहसीलदार व पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी - पिछले दिनों रजपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से गल्ला परिवहन करते कई वाहन नायब तहसीलदार और पुलिस ने पकड़कर रजपुरा थाना में रखा लेकिन हटा मंडी विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई यह पता ही नहीं चल सका। खबर है कि कार्यवाही के दूसरे दिन तक सभी वाहन थाना में मंडी अमले के इंतजार में खड़े रहे।

उड़नदस्ता तो बना कार्रवाई नजर नहीं आई = मामले में जब हटा मंडी के सचिव सी एल सौर से बात की गई तो उनका कहना है कि उड़नदस्ता दल का गठन किया गया हैए लेकिन उड़नदस्ता दल ने हटा क्षेत्र में अब तक क्या कार्यवाही की यह सचिव साहब नहीं बता पाए। हर महीने एक या दो प्रकरण बनाने की बात की गई जबकि इन दिनों प्रतिदिन 20 से 40 मालवाहक हटा से दूसरे जिलों में गल्ला परिवहन कर रहे हैं।

कारण बताओ नोटिस जारी - हटा कृषि उपज मंडी अमले द्वारा लापरवाही के मामले में हाल ही में मेरे द्वारा मंडी सचिव, इंसपेक्टर और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, बाकी हटा मंडी क्षेत्र से अवैध रूप से व्यापार और गल्ला परिवहन कर प्रशासन द्वारा कार्यवाहियां की जा रही।

राकेश मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी हटा

शिक्षा व स्वास्थ्य में कोताही बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर ने किया निरीक्षण

डिंडोरी, देशबन्धु। जिले की कलेक्टर नेहा मारव्या सिंह ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त रूख अपनाया है। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देश के बाद करंजिया विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने आदेश जारी कर सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं एकीकृत शालाओं में अब समय पालन और शाला से जुड़े दस्तावेजों का संधारण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों को स्पष्ट किया गया है कि नियमित रूप से निर्धारित समय पर शाला संचालन करें और समस्त अभिलेख अद्यतन रखें।

निर्देश के अनुसार सभी शिक्षक प्रातः 7꞉30 बजे से दोपहर 12꞉00 बजे तक शाला में उपस्थित रहेंगे। बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक या अन्य अवकाश हेतु पंजी संधारित करना और पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया है। शाला में सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे-छात्र पंजी, शिक्षक पंजी, अवकाश पंजी, स्टॉक पंजी, एमडीएम पंजी, निरीक्षण पंजी, गणवेश पंजी, सायकिल वितरण पंजी, शाला त्यागी पंजी, केशबुक, बिल-वाउचर, छात्रवृत्ति पंजी सहित कुल 24 से अधिक पंजी शाला में पूर्ण एवं अद्यतन रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, मध्यान्ह भोजन संचालन एवं उपस्थिति फीडिंग भी समय-सीमा में करना अनिवार्य किया गया है।

शालाओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी शाला में निर्धारित दस्तावेज 03 दिवस के अंदर पूर्ण नहीं किये जाते या निरीक्षण के दौरान दस्तावेज अनुपलब्ध पाये जाते हैं तो संबंधित प्रधानपाठक व शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं शिक्षकों की होगी

सार-समाचार

भगवती मैया की महाआरती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु

जबेरा, देशबन्धु। आनंदधाम पुरेनहाउ जबेरा में मंगलवार को माता भगवती की महा आरती में शामिल होने जबेरा सहित आसपास के ग्रामों के सैकड़ो श्रद्धालु पहुंचे और माता जगदंबा एवं महा आरती के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित किया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशमी तिथि को आनंद धाम पुरेनहाउ में दंडी स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में महाआरती सहित अनेक धार्मिक आयोजन किए गए। जिसमें प्रातः कालीन माता भगवती का दिव्य सिंगार आरती एवं हवन पूजन किया गया। दोपहर में कन्या पूजन कर सैकड़ो श्रद्धालुओं की उपस्थिति में माता भगवती की दिव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महा आरती के दौरान शंख झालर घंटे की करतर ध्वनि के साथ माता के जयकारों से संपूर्ण आनंदधाम गुंजायमान हो उठा। इस दौरान दंडी स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत वर्षों से आनंदधाम में दशमी तिथि को माता भगवती की महाआरती सहित कई धार्मिक आयोजन किये जा रहे हैं जिसमें सैकड़ो श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्मलाभ अर्जित करते हैं और हम माता भगवती से कामना करते हैं कि सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें सभी सुखी स्वस्थ रहकर धार्मिक कार्यों में संलग्न रहे। साथ ही हमें सभी श्रद्धालुओं को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आनंदधाम में दिनांक 25 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक श्री शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा और संत समागम का भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है जिसमें सभी श्रद्धालुजन बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाएं और धर्मलाभ अर्जित करें। इस दौरान आनंदधाम में दिनभर भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा और दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

अजबधाम में 80 बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया

हटा, देशबन्धु। हिन्दू सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का शुभारंभ है। अजब धाम में आहूत ग्यारह दिवसीय राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी माता एकादश लक्षार्चन महोत्सव के दौरान एक दिवसीय उपनयन संस्कार का यह विशेष आयोजन किया गया जिसमें यह पावन अवसर 80 छोटे बड़े बच्चों को प्राप्त हुआ। इस अलौकिक आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार, गुरु चरणों की कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे वातावरण को पावन बना दिया। गुरुजी के सान्निध्य में बालकों ने यज्ञोपवीत धारण कर धर्म, तपए सेवा और ब्रह्मचर्य जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया और गुरु महाराज द्वारा दिये गए जीवन दर्शन के अमूल्य उपदेशों ने नन्हे बालकों और उनके परिवारजनों के हृदय में संस्कार सेवा और साधना के बीजों का रोपण किया है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

टास्क फोर्स की बैठक आयोजित

बटियागढ़, देशबन्धु। गत 9 अप्रैल 2025 को दमोह कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार विकासखंड टास्क फोर्स मीटिंग का आयोजन, अनुविभागीय अधिकारी पथरिया की अध्यक्षता में की गई। जिसमें टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार और ग्रामस्तर पर नारे लेखन फ्लेक्स के माध्यम से टीकाकरण के फायदे और नुकसान हेतु कार्य करने के निर्देश दिए।

अन्य कार्यक्रम, टीकाकरण कार्य हेतु रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में हायर वैक्सीनेटर से सेवाएं ली जाएं। और उनका पहले भुगतान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जाए। आयुष्मान कार्ड, कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन और एनआरसी में भर्ती बच्चों की उपलब्धि कम है। एवं समस्त कार्यकर्मों पर विस्तार से चर्चा हुए। और इनके लक्ष्य पूर्ति हेतु पथरिया एसडीएम ने निर्देशित किया।

बैठक में डब्बलूएचओ से डॉक्टर अंकिता जैन द्वारा सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में जो कमियां थी। उनके बारे में विस्तार से बताया और उनको जल्द से जल्द दूर करने हेतु संबंधित सेक्टर सुपरवाइजर और एल एच व्ही को निर्देशित किया।

बैठक में विकासखंड के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। जिसमें जनपद सीईओ अश्विनी कुमार सिंह, तहसीलदार योगेन्द्र चौधरी, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन, डब्बलूएचओ मॉनिटर प्रतिनिधि संस्था में उपस्थित रहे। बैठक में एजेंडा संस्था प्रमुख डॉक्टर महेश सिंह द्वारा बताया गया साथ में संस्था से नरेश शुक्ला, पूजा शुक्ला, नीलेश राजपूत समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति रही ।

स्व सहायता समूहों से जुड़ीं सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन

डिंडोरी, देशबन्धु। मंगलवार शाम डिंडोरी जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर उस समय हंगामेदार हो गया जब स्व सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने अचानक नारेबाजी शुरू कर दी। महिलाएं कलेक्टर मैडम बाहर आओ जैसे नारों के साथ विरोध जताने लगीं। करीब एक घंटे तक चली इस हलचल के बाद महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला और मामला शांत हुआ।

क्यों पहुंचीं महिलाएं कलेक्ट्रेट

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना अधिकारी जे.एस. पट्टा द्वारा जिले के सभी सात विकासखंडों के ब्लॉक मैनेजरों (बीएम) को निर्देशित किया गया था कि वे अपने-अपने विकासखंडों से स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों (आधार कार्ड, समूह रजिस्ट्रेशन आदि) के साथ बैठक हेतु कलेक्ट्रेट आर्टिटोरियम में भेजें।

आदेशानुसार बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह 11 बजे से ही वहां पहुंच गई थीं। इनमें अधिकांश महिलाएं समनापुर, बजाग, शहपुरा, मेहंदवानी और अमरपुर जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से थीं। वे अपने दैनिक कार्य छोड़कर बैठक के उद्देश्य से उपस्थित हुई थीं। -

महिलाओं का गुस्सा क्यों भड़का

शाम लगभग साढ़े चार बजे कलेक्टर नेहा मारव्या सिंह बैठक में पहुंचीं। उन्होंने मंच से उपस्थित महिलाओं से दस्तावेज दिखाने को कहा। कुछ महिलाएं दस्तावेज नहीं ला सकीं, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि जब सभी दस्तावेज पूरे हो जाएंगे, तब दिखाइएगा, और फिर कार्यालय लौट गईं। इसी बात से महिलाओं ने खुद को अनसुना और उपेक्षित महसूस किया। उनका कहना था कि वे सुबह से भूखी-प्यासी बैठी थीं और कलेक्टर ने बिना बातचीत किए वापस लौटकर उनका अपमान किया।

कलेक्टर से मुलाकात के बाद खत्म हुआ आक्रोश

नारेबाजी और हंगामा

कलेक्टर के लौटते ही महिलाएं नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में उतर आईं। कलेक्टर मैडम बाहर आओ, हमसे बात करो, जैसे नारे गूंजने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख आजीविका मिशन और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। बात नहीं बनने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते और भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से बातचीत कर उन्हें शांत किया। अंततः कुछ महिला प्रतिनिधि कलेक्टर के चैंबर में जाकर उनसे मिले।

विद्यार्थियों को पढ़ाया जल संरक्षण का पाठ

शपथः आओ मिल कर बचाये जल

बटियागढ़, देशबन्धु। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बटियागढ़ में परामर्शदाता रवि तिवारी ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाये जाये रहे। जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों से कहा कि धरती पर जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

जल है तो कल है, घर परिवार में बचपन से ही पानी को बचाने की मुहिम में हर सदस्य को सहभागी जरूरी है। दैनिक जरूरत में जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही खर्च करें वरना भावी पीढ़ी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी इसलिये आप सभी अपने घर मे जल का सदुपयोग करें।

वरिष्ठ शिक्षक भरत मिश्रा ने भी बच्चों को जल संरक्षण का पाठ पढ़ाया जल संरक्षण क्या है। कई क्षेत्रो में जल का स्तर बहुत कम हो गया है। इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिय सभी की सहभागिता जरूरी है। तभी जलस्तर में सुधार कर सकते है। स्वच्छता, जल संरक्षण के कार्य में बच्चे मिसाल बने साथ बच्चों को शपथ दिलाई।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)- 484001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्व में जारी किए गए सभी मांग नोटिस रद्द करते हुये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नए मांग नोटिस जारी किए जाते हैं

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अजवार, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) के माध्यम से प्राप्त किए गए ऋण जो कि एनपीए हो चुका है। जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न उल्लेखित बकाया शेष राशि थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नलिखित संबन्धित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत डाक द्वारा हमारे कार्यालय द्वारा भेजी गयी थी। धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में हमने आशय स्पष्ट कर दिया था कि आपके द्वारा मांग सूचना में दर्शाई राशि 60 दिवस के अंदर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक द्वारा बंधक संपत्ति का आधिपत्य ले लिया जाएगा। पूर्ण विवरण निम्न वर्णित है:

ऋणी/जमानतदार का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण: संपत्ति ऐसे सभी भाग, जिसमें	मांग सूचना राशि एवं दिनांक
उधारकर्ता- (1) श्री संदीप कंसकार पिता श्री निरोत्तम कंसकार पता: वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) गारंटीदाता- (2) श्री उत्तम चंद कंसकार (मृतक) पिता श्री परसराम कंसकार, पता: वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) वारिसगण- 1. श्रीमती कमला कंसकार (पत्नी), 2. श्री वीरेंद्र कंसकार (पुत्र) 3. श्री हिरेन्द्र कंसकार (पुत्र) 4. श्री सुरेन्द्र कंसकार (पुत्र) यदि कोई अन्य वारिसगण हो तो सभी निवासी- वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) गारंटीदाता- (3) श्री चंद्र भान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार पता: वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.)	क्रमांक- 01- पंजीकृत बंधन भूमि/भवन: खसरा क्र. 2/29 वार्ड क्र. 5, गल्ला गोदाम के पास, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल- 30x50= 1500 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/इकाई। चतुर्सीमा: उत्तर- सड़क, दक्षिण- नरोत्तम की भूमि, पूर्व- सड़क, पश्चिम- नाला। भू-स्वामी/ बंधककर्ता- (1) श्री उत्तमचंद कंसकार पिता श्री परस राम कंसकार। क्रमांक- 02- पंजीकृत बंधन भूमि/भवन: खसरा क्र. 108/1, अमरपुर तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल- 20x40= 800 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/इकाई। चतुर्सीमा: उत्तर- अमरपुर सलवाह मार्ग, दक्षिण- स्वयं की भूमि, पूर्व- शिखरचंद का हिस्सा एवं सरकारी भूमि, पश्चिम- याकूब खान की जमीन। भू-स्वामी/ बंधककर्ता- (1) श्री चंद्रभान कंसकार पिता श्री परस राम कंसकार।	रू. 22,71,928/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय दिनांक 03/04/2025

अतः आप सभी संबन्धित ऋणी/जमानतदार को सुझाव दिया जाता है कि (1) उक्त मांग सूचनापत्र/लिफाफा जो कि आपको पंजीकृत डाक द्वारा हमारे कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया था- आप इस नोटिस की प्रति हमारी शाखा शहडोल या हमारे कार्यालय से प्राप्त कर लें ताकि आपको सूचना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए एवं (2) मांग सूचना में दर्शाई गयी बकाया राशि मय ब्याज एवं विधिक व्यय सहित मांग सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक: 10/04/2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, बुढ़ार रोड, शहडोल (म.प्र.)

परिवहन घोटाले के आरोपी की जमानत के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

जबेरा, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले के आरोपी की जमानत मंजूर किए जाने एवं जबेरा जनपद में कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा के बिगड़े परीक्षा परिणाम के विरोध में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जबेरा एवं एनएसयूआई ने राष्ट्रपति के नाम जबेरा तहसीलदार सोनम पांडेय को ज्ञापन सौपा है।

ज्ञापन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मांग करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले के आरोपी सौरभ शर्मा जो बहुत बड़ा परिवहन सरगना है उसे जमानत मिल गई है इतने बड़े घोटाले के आरोपियों एवं संरक्षकों की मिली भगत है।

ज्ञापन में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में घोटालेबाज आजाद घूम रहे हैं। अतः मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित कर ऐसे आरोपियों की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।

आठवीं के बिगड़े परीक्षा परिणाम पर जताई चिंता

इसी तरह एन एस यू आई ने मांग करते हुए कहा है कि जबेरा विकासखंड की माध्यमिक शाला कक्षा आठवीं के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। शाला के सभी 42 छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया गया है एक भी छात्र पास नहीं हुआ है। जिसको लेकर जांच टीम गठित कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और अभिभावकगण परेशान हैं। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जबेरा द्वारा बस स्टैंड पर करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौपा गया।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रजनी ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष गोविंद प्रसाद तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष रजक, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश सोनी, राव लखन सिंह, श्रीकांत तिवारी, सुनील सिंघई, अजय तिवारी, प्रवीण राय, पवन राय, दीपक यादव, ओंकार पटेल, द्वारिका सिंह, भगवत धनगर, गोलू विश्वकर्मा, लव कुश, सीताराम, धनसिंह सहित अनेकों कांग्रेसी मौजूद रहे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय- शहडोल, मध्य प्रदेश

बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों के नीलामी हेतु ई-नीलामी दिनांक- 28/04/2025

बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों के विक्रय हेतु 15 (पंद्रह दिन) ई- नीलामी विक्रय नोटिस

सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता को उसके द्वारा लिए गए गोल्ड लोन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी **''जो है और जिस स्थिति में है'' ''जो कुछ भी है और दायित्व रहित''** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई- नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता धारक का नाम एवं पता	उधारकर्ता ऋण खाता संख्या	आभूषण (धातु)	कुल वजन एवं शुद्ध वजन	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी / बिड वृद्धि राशि
1	अजवार	श्री कन्हैया लाल धारवैया पुत्र श्री गोलकुल दास धारवैया	3334068549	सोना	7.88 ग्राम एवं 7.50 ग्राम	रू. 48,500.00 / रू. 4,850.00 / रू. 500.00
2	अजवार	श्री कन्हैया लाल धारवैया पुत्र श्री गोलकुल दास धारवैया	3369217822	चाँदी	812.00 ग्राम एवं 796.00 ग्राम	रू. 32,500.00 / रू. 3,250.00 / रू. 500.00

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता e- Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) के वेबपोर्टल https://egold.auctiontiger.net पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-6351896640/6359575981/9023724780, या प्राधिकृत अधिकारी (मोब.: 91-9693096247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail:- recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा- अजवार (मोब नं.: 75099 77100), से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांकः 21/04/2025 को बैंकिंग कार्य के समय कर सकते हैं। उपरोक्त सभी से संबन्धित ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता/पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांकः 09/04/2025, स्थानः शहडोल (म.प्र.) कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

एक नजर में

शांतनु पाठक को मिली भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

शांतनु पाठक।

डिंडौरी: जिले में भाजपा के नियुक्त मंडल अध्यक्षों द्वारा कार्यकारिणी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाजपा डिंडौरी मंडल अध्यक्ष आशीष वैश्य द्वारा घोषित कार्यकारिणी में नगर के युवा नेता शांतनु पाठक को मंडल उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक शांतनु पाठक भाजपा युवा मोर्चा में सहसंयोजक के साथ भाजपा जिला संगठन में जिला सहसंयोजक सोशल मीडिया का दायित्व भी सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। उनको मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी है।–नप्र

श्री विष्णु महापुराण कथा का आयोजन आज से

डिंडौरी: जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम मडियारास में श्री विष्णु महापुराण कथा का आयोजन आज गुरुवार से शुरू होगा। आयोजक पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह परमार ने बताया कि आज गुरुवार 10 अप्रैल को कलश यात्रा एवं वेदी ग्रंथ पूजन किया जाएगा। कथा का प्रारंभ कल 11 अप्रैल शुक्रवार से शुरू होगा,जो 17 अप्रैल तक चलेगा। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन मूल पाठ का वचन होगा, जबकि दोपहर 3 से 6 बजे तक प्रवचन किया जाएगा। 18 अप्रैल को हवन विसर्जन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन होगा। लोगों से कार्यक्रम में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है।–नप्र

युवक के पास से 15 पाव अवैध शराब जब्त

डिंडौरी: कोतवाली पुलिस ने समनापुर मार्ग में ग्राम धनुवासागर के पास 42 वर्षीय युवक के पास से 15 पाव अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मंगलवार की शाम समनापुर धनुवासागर मुख्य मार्ग में दबिश दी गई। मौके पर मूलचंद दुबे निवासी खनूजा कलोनी वार्ड क्रमांक छह डिंडौरी की पीठ में रखे काले रंग के बैग की तलाशी ली गईद्ध बैग में देशी, अंग्रेजी 15 पाव प्लेन शराब रखी मिली जिसे जब्त किया गया। जब्त की गई शराब की कुल कीमत 900 बताई गई है। आरोपित के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।–नप्र

शहडोल में जुलाई माह में होगी वायरमेन परीक्षा

डिंडौरी : संभागीय अनुज्ञापन समिति विद्युत संभाग शहडोल द्वारा शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, कटनी, पन्ना, मंडला और डिंडौरी क्षेत्र के अनुभवधारी उम्मीदवारों के लिए 'ब' श्रेणी विद्युत लाइसेंस के लिए वायरमेन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहडोल केन्द्र पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार जो संबंधित विद्युत कार्य में न्यूनतम दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखते हैं जो पिछले 5 वर्षों के भीतर का हो, वे 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा घरेलू, औद्योगिक, शिरोपरि ओवरहेड और भूमिगत विद्युत कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।–नप्र

पुरानी डिंडौरी में सट्टा खिलाते युवक गिरफ्तार

डिंडौरी: कोतवाली पुलिस ने पुरानी डिंडौरी अमरकंटक रोड में सट्टा खिला रहे 35 वर्षीय युवक को पकड़कर सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर अमरकंटक रोड में दबिश दी गई। वहां पर प्रकाश गौतम निवासी वार्ड क्रमांक 15 मंडला बस स्टैंड सट्टा खिलाते हुए मिला। आरोपित के कब्जे से एक सट्टा पर्ची, एक पेन व 250 रूपये नगद जब्त किए गए।–नप्र

सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

डिंडौरी : जिले के बजाग थाना अंतर्गत ग्राम भुरसी में सडक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में बुधवार की सुबह मौत हो गई। अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के अनुसार अनुराधा तेकाम उम्र 30 वर्ष निवासी बिलाईखार बजाग मंगलवार को अपने छोटे भाई मनोज धुर्वे व परिचित समर सिंह मरावी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जाड़ासुरंग समनापुर के साथ बाइक से ग्राम धुरकुटा से सिंगपुर जा रही थी। शाम लगभग पांच बजे के आसपास ग्राम भुरसी में एक मोड के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर समर सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

200 करोड़ से निर्माणाधीन सड़क में नहीं थम रही मनमानी

अनदेखी ●पुरानी सड़क के ऊपर बिना खुदाई करें बिछाया जा रहा डामर, कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद भी लापरवाही बरत रहे जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : रेल लाइन न होने से सड़क मार्ग पर पूरी तरह निर्भर आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी को मिली टू लेन सड़क की सौगात लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय से जनपद मुख्यालय शहपुरा तक लगभग 200 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन टू लेन सड़क में जमकर मनमानी बरती जा रही है। जबलपुर मुख्य मार्ग में ग्राम शाहपुर के पास पुरानी सड़क को बिना खुदाई किए उसी के ऊपर नया डामर बिछाकर खानापूर्ति का दौर चल रहा है। बताया गया कि पुरानी सड़क की खुदाई न होने से उसमें डामर की पकड़ सही नहीं आ पा रही है। तकनीकी जानकारों का मानना है कि यह मार्ग बनते ही बदहाल हो जाएगा। इससे पहले भी पुलिया निर्माण में मनमानी बरतने के साथ अवैध उत्खनन का मामला भी इस मार्ग में सामने आया था।

ग्राम शाहपुर के पास इस तरह बिना खुदाई करे बनाई जा रही नई सड़क। ● नईदुनिया

कलेक्टर नेहा मारव्या द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण का स्थल मुआयना कर गुणवत्ता के साथ कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के बाद भी जिम्मेदार लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। गौरतलब की जिले में आवागमन के लिए मात्र सड़क मार्ग ही प्रमुख साधन है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद टू लेन सड़क स्वीकृत हुई है। सबसे अधिक मनमानी डिंडौरी से शहपुरा मार्ग में सामने आ रही है। आनन फानन में की जा रही खानापूर्ति से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। बताया गया कि सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए निजी फर्म को जिम्मा मिला था जिसने दो करोड़ से अधिक खर्च कर दिया गया है। आरोप है कि ये अमला स्थल से गायब रहते हैं। ऐसे में समस्या और बढ़ रही है।

जन प्रतिनिधि भी नहीं लगा पा रहे लगाम: डिंडौरी से मंडला मुख्य मार्ग की गुणवत्ता को देखने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे और विभागीय अधिकारियों के बीच हुई नोंकझोंक का वीडियो भी गत दिनों सामने आया था। उस प्रसारित वीडियो में भी विभागीय अधिकारी पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत करते नजर आ रहे थे। वीडियो को देखकर लग रहा था न तो उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों का डर है और न ही सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों का। बताया गया कि हाईवे निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदार न तो अधिकारियों की परवाह कर रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधियों की। जिले के कई बड़े जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो महत्वपूर्ण सड़क में हो रही मनमानी को लेकर सामने आने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में उनकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि गुणवत्ता के साथ अच्छी सड़क बनने से जिले के लोगों का जबलपुर आना जाना आसान होगा, लेकिन वह होता नजर नहीं आ रहा है।

जबलपुर से अमरकंटक तक तीन स्थानों पर टोल नाका: जबलपुर से अमरकंटक तक बनाई जा रही टू लेन सड़क में तीन स्थानों पर टोल नाका लगाने का भी प्रस्ताव है। आदिवासी बहुल जिले होने के चलते अब तक जिले की सड़कों में टोल नाका नहीं लगा था। इस बार 80-80 किलोमीटर की दूरी पर टोल नाका लगाने का भी प्रस्ताव है। ऐसे में लोगों को सड़क में आवागमन करने पर टैक्स भी अदा करने के बाद भी अच्छी सड़क का लाभ नहीं मिल पाएगा। बताया गया कि एक टोल नाका कुंडम से जबलपुर के बीच लगेगा, इसका निर्माण भी शुरू हो गया है। दूसरा नाका शहपुरा से डिंडौरी के बीच नुनखान और शाहपुर के पास प्रस्तावित हो सकता है। एक नाका डिंडौरी से अमरकंटक के बीच ग्राम रामनगर के पास प्रस्तावित है। ऐसे में वाहन चालक टैक्स अदा करने के बाद भी अच्छी सड़क का लाभ नहीं ले पाएंगे। लोगों ने कलेक्टर से इस ओर गंभीरता से पहल करने की मांग की है, ताकि लापरवाही पर लगाम लग सके। इस संबंध में जब राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन यंत्री शंकर लाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काम की गुणवत्ता को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। वे स्थल का मुआयना कर जानकारी लेंगे।

आंगनवाडी केंद्र में कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाएं और बच्चे।

जिले में 22 अप्रैल तक चलेगा पोषण पखवाड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : महिला व बाल विकास परियोजना डिंडौरी के अंतर्गत पोषण अभियान के तहत आठ से 22 अप्रैल तक साप्ताहिक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में महिला व बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के क्रियान्वयन के माध्यम से कुपोषण की स्थिति में सुधार लाना है। साथ ही पोषण ट्रेकर की तकनीक को प्रचार प्रसार से बढ़ावा देना रहेगा। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया जाएगा।

30 मई तक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

कलेक्टर ने जनपद कार्यालय बजाग में ली समीक्षा बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : कलेक्टर नेहा मारव्या द्वारा बुधवार को जनपद बजाग के विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण करने के साथ जनपद कार्यालय में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मनरेगा योजना समेत अन्य योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पौधरोपण, सड़कों के किनारे पौधरोपण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, खेत तालाब, कुआं,

बैठक के दौरान समीक्षा करतीं कलेक्टर व मौजूद विभागीय अधिकारी। ● नईदुनिया

नहर, नदी सहित झरनों में किए जाने वाले कार्यों की 30 मई तक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि वर्षा ऋतु में जल संग्रहण की प्रभावी व्यवस्था हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, डीपीसी, बीआरसी, वन विभाग सहित विकासखंड शिक्षा अधिकारी को क्षेत्र में संचालित गतिविधियों को नियमित रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ आमजन तक आसानी से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और तत्परता के साथ कार्य करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, एसडीएम बजाग वैधनाथ वासनिक, पीएचई अधिकारी अफजल इमाम उल्ला, पीआईयू अधिकारी बीएल भलावी, तीरथ परस्ते, ब्रजभान गौतम, अभिलाषा चौरसिया, वाटरशेड प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी चेतराम अहिरवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

णमोकार मंत्र स्मरण मात्र से विघ्न होते हैं नष्ट

संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए किया गया पाठ

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी: विश्व णमोकार महामंत्र दिवस का आयोजन बुधवार को पूरे विश्व में एक साथ एक समय पर किया गया। जैन धर्म का विश्वशांति महामंत्र का यह आयोजन सकल जैन समाज ने श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन बड़े मंदिर डिंडौरी में णमोकार मंत्र का पाठ किया। बताया गया कि णमोकार मंत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्राचीन, पवित्र व शक्तिशाली मंत्र है। इसकी महिमा अपरंपार है।

कोटि-कोटि जनों की आस्था है कि इसके स्मरण मात्र से अनेक विघ्न बाधाओं व कष्टों का निवारण होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि गुण, योग्यता व अर्हता सपन्न महापुरुषों को नमस्कार किया गया है। इसे हम एक असाप्रदायिक मंत्र भी कह सकते हैं।

यह सभी को जोड़ने की क्षमता रखता है। विश्व बंधुत्व का आधार स्तंभ भी हो सकता है। णमोकार महामंत्र एक लोकोत्तर मंत्र है। इस

पाठ के दौरान मौजूद जैन समाज के लोग। ● नईदुनिया

मंत्र को जैन धर्म का परम पवित्र और अनादि मूल मंत्र माना जाता है। इसी तारतम्य में विश्व भर में नवकार महामंत्र का जाप एक ही समय पर किया गया।

जहां सकल जैन समाज डिंडौरी ने जिनालय के बाहर एकरूप होकर विश्व कल्याण की भावना से नवाकर महामंत्र का जाप किया। इसमें संपूर्ण रूप से विकसित और विकासमान विशुद्ध आत्मस्वरूप का ही दर्शन, स्मरण, चिंतन, ध्यान व अनुभव किया जाता है, इसलिए यह अनादि और अक्षयस्वरूपी मंत्र है।

राष्ट्रीय लोक अदालत दस मई को

नुप डिंडौरी: राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार 10 मई को जिला न्यायालय व तहसील न्यायालय शहपुरा में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इस नेशनल लोक अदालत में पूर्व की भांति ही न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 के चैक बाउन्स प्रकरण, बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत के प्रकरण, जलकर, संपत्तिकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित समस्त दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं प्रीलिटिगेशन प्रकरण, बैंक, बीएसएनएल, धारा 138 चैक बाउन्स, बकाया राशि के वसूली, वसहित अन्य बकाया वसूली, अन्य समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

खरगहना में विरोध के बीच तोड़ा गया सार्वजनिक रंगमंच

अतिक्रमण ढहाती जेसीबी और मौजूद अधिकारियों सहित ग्रामीण। ● नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, अमरपुर: जिले के अमरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम खरगहना में ग्रामीणों के विरोध के बीच सार्वजनिक रंगमंच तोड़ने की कार्रवाई की गई। बुधवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियो की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई।

बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सार्वजनिक रंगमंच तोड़ा गया है। गांव की एक महिला द्वारा हाईकोर्ट में यह अपील की गई थी कि उसका रास्ता बाधित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग दो दशक से अधिक समय से वे संबंधित स्थान पर माता दुर्गा की प्रतिमा प्रति वर्ष स्थापित करते आ रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रंगमंच तोड़ने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद गिराए गए दो प्रधानमंत्री आवास

पीएम आवास ढहाती जेसीबी और मौजूद राजस्व अमला। ● नईदुनिया

सरकारी जमीन पर कब्जा कर आवास बनाने की लगे थे आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी बिछिया: जिले के शहपुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी कला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने दो पक्के मकानों को प्रशासन द्वारा जेसीबी से ढहा दिया गया। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास बनाया गया था।

इस मामले में ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विवादित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास किस आधार पर पंचायत ने स्वीकृत कराया था यह बड़ा सवाल है। बुधवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में इमरत झरिया और मगनू झरिया का प्रधानमंत्री आवास गिराया गया।

बताया गया कि सरकारी जमीन में कब्जा करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। उस आधार पर यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में सरकारी राशि का दुरुपयोग होने पर पंचायत व जनपद के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। बताया गया कि शासन के कुल रकबा 0.09 हेक्टर भूमि में से 120 वर्ग मीटर भूमि में अवैध कब्जा कर निर्मित मकान को उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार हटाया गया है।

न्यायालय तहसीलदार शहपुरा के द्वारा इसकी सुनवाई करना भी बताया गया। उक्त कार्यवाही में तहसीलदार शहपुरा पुष्पेंद्र पंद्रे ,नायब तहसीलदार रैपुरा सुखमन कुलेश, राजस्व निरीक्षक, गठित पटवारी दल, पुलिस शामिल रही।

नईदुनिया
Classifieds
YOU CAN BOOK CLASSIFIED ADVT. OVER PHONE In DINDORI/MANDLA
For More Details Contact
ASHISH SHUKLA
DINDORI-9993599820
RAVENDRA TIWARI
MANDLA-6266353971

राजूषा हायर सेकेण्डरी स्कूल
पीपल चौक, रानी रामगढ़ रोड, डिण्डोरी
RAJUSHA HIGHER SECONDARY SCHOOL
RANI RAMGARH ROAD, WARD - 05, DINDORI (M.P.) 481880
नर्सरी से 12वीं (अंग्रेजी माध्यम)
प्रवेश प्रारंभ
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक – आपके सपनों का आधार!
विशेष
● वाणिज्य, कला, कृषि, बायोलॉजी, एवं गणित संकाय। ● नीट, जेईई, सीए, पीएटी, सीयूईटी एवं क्लेट हेतु अतिरिक्तकक्षाएं। ● नियमित टेस्ट एवं कैरियर गाइडेंस। ● कक्षा नर्सरी, एलकेजी एवं यूकेजी में बस्ते के बोझ से पूर्णतः मुक्ति। ● अत्याधुनिक शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं, विशाल खेल मैदान सहित, सुरक्षित स्कूल कैंपस। ● आधुनिक पद्धति एवं तकनीकी द्वारा शिक्षण। ● सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वाहन व्यवस्था।
सीटें सीमित हैं – शीघ्र आवेदन करें!
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 9425854064, 9893775004

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)– 484001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्व में जारी किए गए सभी मांग नोटिस रद्द करते हुये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नए मांग नोटिस जारी किए जाते हैं

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अजवार, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) के माध्यम से प्राप्त किए गए ऋण जो कि एनपीए हो चुका है। जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न उल्लेखित बकाया शेष राशि थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नलिखित संबन्धित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत डाक द्वारा हमारे कार्यालय द्वारा भेजी गयी थी। धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में हमने आशय स्पष्ट कर दिया था कि आपके द्वारा मांग सूचना में दर्शाई राशि 60 दिवस के अंदर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक द्वारा बंधक संपत्ति का आधिपत्य ले लिया जाएगा। पूर्ण विवरण निम्न वर्णित हैः

ऋणी/जमानतदार का नाम	बंधक संपत्ति का विवरणः संपत्ति ऐसे सभी भाग, जिसमें	मांग सूचना राशि एवं दिनांक
उधारकर्ता– (1) श्री संदीप कंसकार पिता श्री निरोत्तम कंसकार पताः वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) गारंटीदाता– (2) श्री उत्तम चंद कंसकार (मृतक) पिता श्री परसराम कंसकार, पताः वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) वारिसगण– 1. श्रीमती कमला कंसकार (पत्नी), 2. श्री वीरेंद्र कंसकार (पुत्र) 3. श्री हिरेन्द्र कंसकार (पुत्र) 4. श्री सुरेन्द्र कंसकार (पुत्र) यदि कोई अन्य वारिसगण हो तो सभी निवासी– वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.) गारंटीदाता– (3) श्री चंद्र मान कंसकार पिता श्री परसराम कंसकार पताः वार्ड क्र. 6, गल्ला गोदाम, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.)	क्रमांक– 01– पंजीकृत बंधन भूमि/भवनः खसरा क्र. 2/29 वार्ड क्र. 5, गल्ला गोदाम के पास, तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल– 30x50= 1500 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/इकाई। चतुर्सीमाः उत्तर– सड़क, दक्षिण– नरोत्तम की भूमि, पूर्व– सड़क, पश्चिम– नाला। भू-स्वामी/ बंधककर्ता– (1) श्री उत्तमचंद कंसकार पिता श्री परस राम कंसकार। क्रमांक– 02– पंजीकृत बंधन भूमि/भवनः खसरा क्र. 108/1, अमरपुर तहसील एवं जिला डिंडोरी (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल– 20x40= 800 वर्गफुट उस पर निर्मित भवन/इकाई। चतुर्सीमाः उत्तर– अमरपुर सलवाह मार्ग, दक्षिण– स्वयं की भूमि, पूर्व– शिखरचंद का हिस्सा एवं सरकारी भूमि, पश्चिम– याकूब खान की जमीन। भू-स्वामी/ बंधककर्ता– (1) श्री चंद्रमान कंसकार पिता श्री परस राम कंसकार।	रू. 22,71,928/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय दिनांक 03/04/2025

अतः आप सभी संबन्धित ऋणी/जमानतदार को सुझाव दिया जाता है कि (1) उक्त मांग सूचनापत्र/लिफाफा जो कि आपको पंजीकृत डाक द्वारा हमारे कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया था– आप इस नोटिस की प्रति हमारी शाखा शहडोल या हमारे कार्यालय से प्राप्त कर लें ताकि आपको सूचना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए एवं (2) मांग सूचना में दर्शाई गयी बकाया राशि मय ब्याज एवं विधिक व्यय सहित मांग सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांकः 10/04/2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, बुढ़ार रोड, शहडोल (म.प्र.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय– शहडोल, मध्य प्रदेश
बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों के नीलामी हेतु
ई-नीलामी दिनांक- 28/04/2025

बैंक में गिरवी रखे स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों के विक्रय हेतु 15 (पंद्रह दिन) ई– नीलामी विक्रय नोटिस

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता को उसके द्वारा लिए गए गोल्ड लोन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी **"जो है और जिस स्थिति में है" "जो कुछ भी है और दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति–दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई– नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु, विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता धारक का नाम एवं पता	उधारकर्ता ऋण खाता संख्या	आभूषण (धातु)	कुल वजन एवं शुद्ध वजन	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) / बिड वृद्धि राशि
1	अजवार	श्री कन्हैया लाल धारवैया पुत्र श्री गोलकुल दास धारवैया	3334068549	सोना	7.88 ग्राम एवं 7.50 ग्राम	रू. 48,500.00 / रू. 4,850.00 / रू. 500.00
2	अजवार	श्री कन्हैया लाल धारवैया पुत्र श्री गोलकुल दास धारवैया	3369217822	चाँदी	812.00 ग्राम एवं 796.00 ग्राम	रू. 32,500.00 / रू. 3,250.00 / रू. 500.00

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता e- Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) के वेबपोर्टल https://egold.auctiontiger.net पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-6351896640/6359575981/9023724780, या प्राधिकृत अधिकारी (मोब.: 91-9693096247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail:- recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा– अजवार (मोब नं.: 75099 77100), से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांकः 21/04/2025 को बैंकिंग कार्य के समय कर सकते हैं। उपरोक्त सभी से संबन्धित ऋणियों / प्रत्याभूति–दाता/पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांकः 09/04/2025, स्थानः शहडोल (म.प्र.) कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी